## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

**राजस्व अपील : 61/2011**

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट :– |
|---|---|---|
| 1 इन्दरराम पुत्र रायमल<br>2 भंवरी बेवा रायमल जातिगण गुर्जर निवासीगण मुकनपुरा तहसील रोहट | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–
श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 21.3.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2011 बअनवान इन्दरराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2011 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मुकनपुरा तहसील रोहट के खसरा नम्बर 104 रकबा 20 बीघा भूमि सम्वत् 2012 के पूर्व से अपीलाण्ट्स के पिता एवं पति रायमल का उनके जीवनकाल में तथा उनके पश्चात अपीलाण्ट काबिज काश्त है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट का नाम बतौर खातेदार दर्ज नहीं करने के कारण अपीलाण्ट्स द्वारा समुचित दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त आंवटित भूमि की खातेदारी अपीलाण्ट्स के नाम से घोषित कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा वादी के वाद को स्पष्ट रूप से नकारा ही नहीं, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा समुचित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से तनकीयात कायम कर उनका विनिश्चय करते हुए वादी का वाद खारिज कर क़ाननी भूल की है, जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय एवं डिक्री को खारिज किया जावे तथा अपीलाण्ट को वादस्थ भूमि का खातेदार घोषित करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषित कराने का वाद प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात को विनिश्चित करते हुए वादी का वाद साबित नहीं होने के कारण वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा बतौर वादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर ग्राम मुकनपुरा के खसरा नम्बर 104 रकबा 20 बीघा पर पूर्व में अपने पिता/पति का कब्जा काश्त होने तथा उसके पश्चात स्वयं का कब्जा काश्त होने के कारण वादीगण को उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अनुतोष चाहा तथा उक्त भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी न करने हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए वादी का वाद खारिज कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की, जिसमें से तनकी संख्या 1 व 2 वादी द्वारा साबित की जानी थी। वादी द्वारा उक्त भूमि पर अपने कब्जे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में राजकोष में जमा करवाई गई राशि की रसीदें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जारी नोटिस की प्रतियां प्रस्तुत की। वादी द्वारा यह कथन अंकित किया कि उनके द्वारा उक्त भूमि का लगान अदा किया गया है, इस सम्बन्ध में जब भूमि की खातेदारी ही वादी के पक्ष में इन्द्राजित नहीं थी, तो उसके द्वारा जैर अपील भूमि, जो आरम्भ से ही सरकारी दर्ज है, का लगान अदा किये जाने बाबत तथ्य स्वीकार योग्य नही पाए जाते है। चूंकि उक्त भूमि सिवायचक होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। विधि अनुसार सरकारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जा करने पर उसे अतिक्रमण की संज्ञा में मानते हुए तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाती है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट ही नहीं हुआ। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का गत 30 वर्षो से पुराना कब्जा होने के कारण खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, इसके समर्थन में आर0आर0टी0 1991 पेज 1 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया, जिसमें यह व्यवस्था प्रदान की है कि "For the purpose of claiming some right by adverse possession against a private person, the prescribed period is 12 years, but against the State, the prescribed period is 30 years--Therefore, Section 27 of the Limitation Act does not operate against the State on the expiry of a period of 12 years--Hence, possession of the trespasser may be adverse to the khatedar

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

but it does not become adverse to the State-- A suit for declaration by the trespasser on the ground that he had acquired khatedari right by adverse possession will not bind the State" उक्त न्याय सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर इस कारण चस्पा नहीं होता है, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट को जैर अपील वादस्थ भूमि पर 30 वर्षो पुराना कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। यदि अपीलाण्ट का मौके पर कब्जा होता, तो निश्चय ही अपीलाण्ट के विरूद्ध सन्दर्भित कानून के तहत कार्यवाही की गई होती, जो नहीं की गई। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई, उन्हे अपने पक्ष में साबित करने में अपीलाण्ट असमर्थ रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादी का वाद खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2011 बअनवान इन्दरराम बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.07.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली